

**शासनादेश संख्या 438 / 65-2-98-185-97 दिनांक 25-06-98 द्वारा संशोधनोपरान्त
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा
नियमावली, 1998 का स्वरूप**

1. संक्षिप्त नाम-

इस नियमावली का नाम उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से विकलांगों की यात्रा नियमावली 1998 होगा।

2. प्रारम्भ-

यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इस नियमवली के प्रभावी होने से पूर्व से प्रचालित सभी नियमावलियाँ निष्प्रभावी हो जायेगी। इसके अंतर्गत उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।

3. परिभाषा-

इस नियमावली के अंतर्गत जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हों,

क. बसों में ऐसी साधारण बसें अभिप्रेत होंगी जो निगम द्वारा उसके अधीन उ०प्र० में विभिन्न मार्गों पर चलाई जाती हो। वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

ख. 'निगम' से उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत होगा।

ग. 'राज्य' से उ०प्र० अभिप्रेत होगा।

4. विकलांगों को उ०प्र० निःशुल्क यात्रा सुविधा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिये यात्रा करने पर दी जायेगी।

5. यात्रा प्रारम्भ करते समय विकलांग व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत कर यात्रा प्रारम्भ कर सकेगा।

6. उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाणपत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने विकलांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के साथ मांग पत्र दिये जाने पर अनुमन्य धनराशि निदेशक विकलांग कल्याण द्वारा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।

7. (1) यात्रा की सुविधा केवल मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर ही विकलांगों को ही दी जायेगी।

(2) यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं विकलांगों को दये होगी जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आते हों-

क- जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि (लो विजन) हों (विकलांग जन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)।

ख- जो पूर्ण रूप से मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (विकलांग जन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)।

ग- जिनके एक हाथ व पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों।

घ- जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों।

च- जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हों। (विकलांग जन, अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)।

छ- जो लेप्रोसी मुक्त विकलांग हों।

8. यात्रा के समय विकलांग के साथ उसके सहयोगी को (नियम 7 के क, ग, घ, च, को छोड़ कर) यात्रा के

- में कोई सुविधा देय नहीं होगी। नियम 7 के क, ग, घ, च में उल्लिखित विकलांग के सहयोगी को विकलांग की ही तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।
9. परिवहन निगम की बसों से विकलांग को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।
 10. नगर बस सेवा में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, यदि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम नगर सेवा संचालित करते हों।
 11. नियम 7 (2) के अंतर्गत उल्लिखित विकलांगों को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।
 12. उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को विकलांगों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित विभाग के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान विकलांग कल्याण निदेशक द्वारा किया जायेगा।
 13. निरस्त।
 14. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का प्रयोग यात्रा सुविधा हेतु किया जायेगा।
 15. विकलांग द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम की बस कंडक्टर विकलांग को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र देखने के पश्चात संबंधित विकलांग को गंतव्य स्थान तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस यात्रा का लेखा-जोखा यथासमय परिवहन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
 16. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिल विकलांग कल्याण अधिकारी अपने यहाँ एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें ऐसे विकलांगों का उल्लेख होगा जो परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने हेतु पात्र हैं।
 17. निरस्त।
 18. निरस्त।
 19. उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम प्रत्येक तीन माह पर लेखा विवरण तथा यात्रा करने वाले विकलांगों की संख्या संबंधी विवरण निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।
 20. विकलांगता की जो परिभाषा यात्रा के लिये दी गई है, उस श्रेणी में आने के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित विकलांग अपने जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
 21. ₹० 1000/- प्रतिमाह आय की सीमा समाप्त करते हुये विकलांगों की यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जायेगी। इस यात्रा हेतु सम्बन्धित विकलांग को निर्धारित यात्री कर का भुगतान करना होगा।